

DEWAS UDYOG CIRCLE


Issue No – 413 Monthly Newsletter October,2023

President

Mr. Ashok Khandelia **Hon. Secretary** Mr. Ashit Gandhi



World Science Day



National Law Day

NATIONAL LAW DAY November 26 Alamy Alamy

Inside pages.....

Knowledge Centre Notifications/Circulars Events Attainments Member's Corner Sponsor's Page

ASSOCIATION OF INDUSTRIES DEWAS

1/B, 1/B/2A,I. S.Gajra Industrial Area No. 1, A. B. Road, DEWAS (M.P.) Phone: (07272) 258052–53, 259455 E-mail: aidewas123@gmail.com Website: www.aidewas.org

KNOWLEDGE CENTRE

World Science Day

Celebrated every 10 November, World Science Day for Peace and Development highlights the significant role of science in society and the need to engage the wider public in debates on emerging scientific issues. It also underlines the importance and relevance of science in our daily lives.

By linking science more closely with society, World Science Day for Peace and Development aims to ensure that citizens are kept informed of developments in science. It also underscores the role scientists play in broadening our understanding of the remarkable, fragile planet we call home and in making our societies more sustainable.

<u>National Law Day</u>

Constitution Day (<u>IAST</u>: Samvidhāna Divasa), also known as "National Law Day", is celebrated in <u>India</u> on 26 November every year to commemorate the adoption of the <u>Constitution of India</u>. On 26 November 1949, the <u>Constituent Assembly of India</u> adapted to the Constitution of India, and it came into effect on 26 January 1950. The Government of India declared 26 November as Constitution Day on 19 November 2015 by a gazette notification. The Prime Minister of India <u>Narendra Modi</u> made the declaration on 11 October 2015 while laying the foundation stone of the <u>B. R. Ambedkar</u>'s <u>Statue of Equality memorial in Mumbai</u>.

Important Days in November	
Nov 5	World Tsunami Awareness Day
Nov 7	Infant Protection day; World Cancer Awareness Day
Nov 9	Legal Service Day
Nov 10	World Science Day for Peace Development
Nov 11	National Education Day
Nov 12	National Broadcasting Day
Nov 14	Children's day; World Diabetics day
Nov 17	Guru Nanak Dev's Birth Anniversary
Nov 18	Territorial Army Day
Nov 19	National Integration Day
Nov 21	World Fisheries Day; World Television Day
Nov 26	National Law Day

"To succeed in your mission, you must have single-minded devotion to your goal..."

मध्यप्रदेश शासन तकनिकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

::::--000--::::

ज. 190/वी च/2023

भोपाल, दिनांक 12 अबटूबर 2023

पति.

अलेक्टर, जिला - समस्तः अध्यप्रदेश ।

विषय-मुख्यमंत्री सीखो-कलाओं योजना (MMSKY) के सर्बंध में।

--:::::000:::::--

उपरोक्त विष्यान्तरीत लेख है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 को द^{्रह}टमत रखते हुए आरत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू की गई हैं।

आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में सुख्यमंत्री सीखी-कगाओ योजना (MMSKY) अतर्गत प्रतिष्ठान पंजीयन (Establishment Registration). अभ्यर्थी पंजीयन (Candidate Registration). अनुबंध मुजन (Contract Generation) और नए अनुबंध अनुमोदन (New Contract Approval). तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित रहेंगे। जब तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी, तब तक उक्त गतिविधिओं पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

जित रहात्र प्रशिक्षणार्थियों के अनुबंध अनुमोदित किये जा चुके हैं. उनके संबंध में योजना का क्रियान्वरण आरी रहेगा।

Mute

(मनु श्रीवास्तव) अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन तकनोकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विकास

मध्य प्रदेश शासन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र देवास

वाद्यो दिन हार्वादेशभ्येनात्रातातात कर्माल/जिन्यासके-दे/एभएसएमई/२०२१/ **४५/१** प्रति, व्याम न (१७४७) - २५५०) देवास, दिनॉक १०)१०) 2.3

1.

अध्यक्ष. एसोसियेशन ऑफ इंग्डस्ट्रीज, ऑयोगिक क्षेत्र फं.-1 ए. ही. रोड, देवास

३ अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, उज्जीन रोड क्षौद्योतिक धौत्र, देवारा

दियय:- उद्यम रिक्स्ट्रेशन के संबंध में ।

संदर्ग :- अधोग रांचालनालय मध्यप्रदेश का ५५ कर्नाक 58/एमएसएगई/(2)/2020/6350 - 8356 भोपाल निर्माक 10.10.2033

उनरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं, कि भारत सरकार सृक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त पत्र दिनांक 12.09.2023 अनुसार सभी औद्योगिक इकाईमाँ को उद्यम पंजीयन करने हेतु प्रोत्सादित करने का कष्ट करें।

अगर किसी इकाई को उटम पंजीयन (ऑन लाईन) अथवा उद्योग आदार माइग्रेट करने में लगरया अ रही है सो वह इकाई जिला व्यागार एवं उद्योग केन्द्र (एम.एस.एम.इ.कक्ष) देवास से राह्योग प्राप्त कर सकती है।

गहाप्रवेशक

जिला व्यापार एवं उद्योग ॐन्द्र,देवास देवास, दिनांक

क्रमांक / जिन्मासके—दे / एगए४:एमई / 2023 / प्रतिशिपि :=

1. उद्योग अथुक्त, उद्योग संचालनालय नध्यप्रदेश, भोपाल को ओर सादर सूचनार्थ।

2. संगुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय मक्सी रोड उठवीन की और लादर सूचनार्थ।

moving to all

MEANE-This

महाप्रदेधक जिला स्थापार एवं उद्योग लेन्द्र,देवास

2____

Cont'd to next page

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

(एमएस**एमई** कक्ष) cdimsmo@mp.eev.in

कलांक 59/एन उसएगई/(२)/2020/6350-6356 भोपाल, दिनांक /0 <u>रित.</u> प्रति,

संयुक्त संगातक उद्योज, परिक्षेत्रीय उसोन कार्यालय, समस्त

District

उद्यम रिनिस्ट्रेशन के संबंध में

रांदर्ध :- भारत रास्कार सूहमा,अधु और लाग्यम उद्गम मोधालय वर्ड दिल्ली का पद्म दिमांक १७ रिसंबर २००३

0000

अपरोक्त दिख्यांकित संदर्भ में आरत सरकार सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्धम मंत्रालय मई दिल्ली से प्राप्त पत्र दिनांक 12 सितंबर 2025 की छाया प्रति संलब्ध कर लेख है कि आपके संभाग अंतर्गत जिलों को एवं औरोजिक संगठनों तथा इकाईबों को उन्त के संबंध में अधिक से अधिक प्रेरित करने का कथ्छ करें। संलब्ध :- उपरोक्तानुश्वर

> ्रिकेटिक्ट-उर्ष संवालक-उद्योग, १०.२०१३

क्रमांक 59/एगारसएमई/(2)/2020/6357-64/4 प्रसिनित :-


उद्योग संधासनातय शोपाल भोपास, विभास 10/10/2023

। - महाप्रदेशक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सगस्त की ओर संपर्भित एवं की खाया प्रति संलग्न कर लेख है कि उनतानुसार व्यविद्यी सुनिश्चित करने कन्द्र करें।

२- अध्यक्ष रामस्त औरोशिक संगटन म.प्र. की ओ द्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप संगलक उर म १ 10.202 उद्योग संगलका १२४ भीगाल

Cont'd to next page





मध्यप्रदेश शासन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,देवास

कमांक/जिब्हाएले वे/निर्वा/2023/ 3782

देवास दिनांक 19/10/23

प्रति

ाध्यक्ष, एसोरियोशन ऑफ इण्डस्ट्रीज, देवास

विषय :- स्वीप प्लान अन्तर्गत मतदाता जागरूकता हेतु वी.ए.एफ, का गठन करने बाहत्।

जपरोब्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं, के आगामी विधानरामा चुनाव 2023 हेतु स्वीपप्लान अनार्गर मतवाता जानरूकता हेतु सी.ए.एफ. (वोटर अवेयरनेस फोरम) का गठन किया जाना हैं। इसमें प्रत्येक इकाई के कारखाना प्रबंधक, अध्यक्ष होंगें एवं इकाई के एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करेनें जिसे निर्याचन संबंधी मतिविधियों की पूर्ण जानकारी हों।

अतः आपर्भे संबंध डाळाईयों में स्वीप फान अन्तर्गत मतदाता जागलकता हेतु वीएएफ गठन कर आदेश की प्रति इस कार्यालय को उन्लब्ध कराये लाने ळा कुट करें।

संलग्नः — उपरोक्तानुसार।

महाप्रबंधक

क्लिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,देवास

कर्माक / जिब्बाज के- दे / निर्धा / 2023 /

देवास दिनांक

प्रतिलिपि :-

- 1. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला देवार की और सादर सूचनार्थ।
- 2. गुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत देवास की ओर रायर सूचनार्थ।

नहाप्रबंधक

जिला जापार एवं उद्योग केन्द्र देवास

Circular No. 18 of 2023

F.No. 370142/40/2023-TPL

Government of India

Ministry of Finance

Department of Revenue

Central Board of Direct Taxes

Dated the 20th October, 2023

Order under section 119 of the Income-tax Act

On consideration of difficulties arising to the taxpayers and other stakeholders in timely filing of report of accountant required to be filed under clause (8) of section 10AA read with clause (5) of section 10A of the Income -tax Act, 1961 on account of notification of relevant Form 56F on 19.10.2023 and with a view to avoid genuine hardship to such cases, the Central Board of Direct Taxes, in exercise of its powers under 119(2)(b) of the Income Tax Act, 1961, hereby extends the due date of filing of report of the accountant as required to be filed under clause (8) of section 10AA read with clause (5) of section 10A of the Act, for Assessment Year 2023-24 from the specified date under section 44AB to 31st of December, 2023.

(Amrit Pritom Chetia) Under Secretary to the Govt. of India

Copy to:

- I) OSD to FM/ PS to MOS (R)
- 2) PS to Secretary (Revenue)
- 3) Chairman (DT), All Members, Central Board of Direct Taxes
- 4) All Pr CCslTl, Pr DsGIT/DsGIT/CCslT
- 5) All Joint Secretaries/CslT, CBDT
- 6) ADG (PR, P&P) for necessary action.
- DGIT (Systems), New Delhi/Bangalore, for appropriate change in the software of the System.
- 8) The Institute of Chartered Accountants of India, I P Estate, New Delhi-110002
- 9) CIT (Media), Official Spokesperson of CBDT
- 10) Database Cell with a request to upload the order on the website www.irsofficersonline.gov.in.
- Web Manager, National Website, for upleading the Order on the website for wider publicity.

Circular No. 19/2023

F.No.173/32/2022-ITA-1

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Direct Taxes

New Delhi the 23rd October, 2023

Sub: Condonation of delay under section 119(2)(b) of the Income-tax Act, 1961 in filing of Form No. 10-IC for Assessment Year 2021-22 - Reg.

In exercise of the powers conferred under section 119(2)(b) of the Income-tax Act, 1961 ('the Act'), the Central Board of Direct Taxes ('CBDT') by Circular No. 6/2022 of even number dated 17.03.2022 condoned the delay in filing of Form No. 10-IC as per Rule 21AE of the Income-tax Rules, 1962 ('the Rules') for the previous year relevant to A.Y. 2020-21 in cases where the conditions stipulated in the said Circular are satisfied.

- Representations have been received by CBDT stating that Form No. 10-IC could not
 be filed for A.Y. 2021-22 within the due date or extended due date, as the case may be. It has
 been requested that the delay in filing of Form No. 10-IC for A.Y. 2021-22 may be condoned.
- 3. On consideration of the matter, with a view to avoid genuine hardship to the domestic companies in exercising the option u/s 115BAA of the Act, CBDT in exercise of the powers conferred under section 119(2)(b) of the Act, hereby directs that: -

The delay in filing of Form No. 10-IC as per Rule 21AE of the Rules for previous year relevant to A.Y. 2021-22 is condoned in cases where the following conditions are satisfied:

- The return of income for relevant assessment year has been filed on or before the due date specified under section 139(1) of the Act;
- ii) The assessee company has opted for taxation u/s 115BAA of the Act in item (c) of "Filing Status" in "Part A-GEN" of the Form of Return of Income ITR-6; and

"A stone is broken by the last stroke of hammer. However this doesn't mean that the first stroke was useless"

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

518, न्यू मोती बंगला, एम.जी.रोड. इंदौर-452007 दूरभाष 0731-2432822,फेक्स 0731-2536600

ई मेल आय.डी./cmpirs@mp.gov.in. वेबसाइट-http://labour.mp.gov.in

परिपत्र (संशोधित)

भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन- 2023 विधानसभा के आम चुनाव-2023 कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है जिसकी मतदान तिथि 17 नवम्बर 2023(शुक्रवार) निर्धारित है।

निर्वाचन आयोग के निर्देश क्रमांक-3 दिनांक 10/11/2023 द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य के निजी औदोगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के ऐसे नियोजित कामगार जो मध्यप्रदेश राज्य के मतदाना है उन्हें मतदान हेतु नियत मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाए।

लोक प्रतिनिधित्य अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो विधानसभा के लिए निर्याचन में मतदान करने का स्कदार है, को मतदान के दिन संवैतनिक अवकाश मंजूर किये जाने का प्रावधान है। धारा 135(ख) निम्न उद्धत है:-

"135 ख - मतदान के दिन कर्मचारियों को सर्वतन अवकाश की मंजूरी: -

- (1) किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो किसी राज्य की लोकसभा/विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जावेगा।
- (2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गयी होगी।
- (3) यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उरुलंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुमीना से, जो 5007- तक का ही सकेगा, दण्डनीय होगा।
- (4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।"

निरंतर....2

11-2-11

अतः मध्यप्रदेश राज्य में स्थित औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा अन्य सभी प्रकार के स्थापना के नियोजकों को निर्देशित किया जाता है कि वै उनके संस्थान में कार्यरत सभी व्यक्तियाँ को, जिनमें आकस्मिक एवं दैनिक मजदूर भी सम्मिलित है, जो मध्यप्रदेश राज्य के पंजीकृत मतदाता है उन्हें विधानसभा आम चुनाव-2023 मतदान तिथि 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवस को सवैतानिक अवकाश प्रदान करें, ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

गध्यप्रदेश, इन्दौर

कमांक:- 9/27/तीन/2023/33260-33384 इन्दौर, दिनांक <u>01/11/</u>2023 प्रतिलिपी:-

- (1) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
- (2) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ पेषित।
- (३) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, निर्वाचन सदन, १७ अरेरा हिल्स, भोपाल उनके पत्र क्रमांक-10-क/4/निर्वा.यय/निर्देश/2023 दिनांक 16/10/2023 के संदर्भ में सुचनार्थ सम्प्रेषित।
- (4) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भौपाल की और सुचनार्थ।
- (5) प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर की ओर सूचनार्थ।
- (6) आयुक्त जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश, जनसम्पर्क भवन, भोपाल की ओर । कृपया प्रदेश की और के सभी स्थानीय तथा राज्य स्तरीय समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के लिए प्रकाशन हेत् प्रैषित।
- (7) समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (8) समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित।
- (9) संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंदौर की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।
- (10) समस्त सहायक श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (11) समस्त श्रम पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

श्रम आयुक्त,

मध्यप्रदेश, इन्दौर

EVENTS

"Dewas Run"

The Association of Industries (AID) Dewas organized the 4th edition of Dewas run' on Sunday, 08th October, 2023 along with Academy of Indore Marathoners (AIM).

The objective of the run was "Healthy and Fit Dewas", this initiative was taken to help the society at large by making them fit and mentally strong enabling them to prevent many chronic life dreaded diseases like Heart disease, cancer, diabetes etc. and to build a habit of healthy living.

There were 3 categories in the Marathon: 5 Km, 10 Km, 21 Km. The run was flagged off at 05:45 AM (21KM), 06:30AM (10 KM) & 07:30 AM (05KM) from "Shrimant Tukojirao Puar Sports Park", Dewas.

The entire city was full of enthusiasm and could be seen participating in this healthy activity. There was a great excitement not only in teenagers but also in children and elders. Almost 1350 runners from Dewas, Indore and other nearby cities also registered for the run and participated actively.

The event was organized in a professional manner. Bibs, medals and online certificate were given to all the participants. Also all participants were provided refreshments at the end of the run.

Besides, under the cleanliness campaign and voter awareness Campaign an oath was also administered to all the present by the Nagar Nigam and other administrative officials.

We are thankful to the District Administration for giving us full support to organize the event. This event was sponsored by M/s Baerlocher India Additives, Co-Sponsored by ICICI Lombard and supported by Welspun Enterprises, Eicher, Prestige, Moira Sariya, CG Tutorials, Yajat Events and media Partner by Dainik Bhaskar.





Cont'd to next page

DEWAS UDYOG CIRCLE 13 October, 2023

EVENTS

"Dewas Run Final Result"









Cont'd to next page

"The purpose of education is to make good human beings with skill and expertise... Enlightened human beings can be created by teachers..."

GLIMPSE OF DEWAS RUN













"Society exists only as a mental concept: in the real world there are only individuals"-Oscar Wilde

EVENTS

INTERACTION WITH RAJMATA GAYATRI RAJE PUAR

<u>Rajmata Gayatri Raje Puar, MLA Dewas visited the office of The Association of Industries Dewas on 27th October, 2023 Friday for an interaction with our members.</u>









"NIDHI APKE NIKAT 2.0"

"Nidhi Apke Nikat 2.0" program was organized by RPFC at **CMHO Office**, **MG Hospital Dewas** on 27.10.2023. In this program, the problems related to KYC/ Full & final/ Pension of employers and the employees were resolved.





"Life is a long lesson in humility..."

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

